

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 548/2024

आशुतोष गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गर्ग, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी एमपी-36, गली नंबर 2, शकरपुर, दिल्ली-110006।(वर्तमान में केंद्रीय कारागार, जयपुर में परिरुद्ध)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रतीक कासलीवाल के साथ
श्री शुभम भाटी और
श्रीमती मौसी धांधिची
प्रतिवादी की ओर से : श्री किंशुक जैन के साथ
श्री सौरभ जैन

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

आरक्षित किया गया:- 01.03.2024

घोषित किया गया:- 06.03.2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, "सीजीएसटी अधिनियम, 2017") की धारा 70 के तहत दर्ज किए गए उसके इकबालिया बयान के आधार पर तत्काल मामले में आरोपी बनाया गया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का उक्त बयान इस स्तर पर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 136 के मद्देनजर आरोपों पर योग्यता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 02.11.2023 को तत्काल मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद, 30.12.2023 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) (बी) (सी) (एफ) (जे) (एल) के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ शिकायत दायर की गई है। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा पांच साल है और यह मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत द्वारा विचारणीय है। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि और इस तथ्य को देखते हुए कि कथित अपराध मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय है, याचिकाकर्ता को जमानत दी जाए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित आदेशों/निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. रतनंबर कौशिक बनाम भारत संघ रिपोर्टेड इन 2023 (2) SCC Online 621 ।
2. ऋषभ जैन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 10718/2023) दिनांक 04.12.2023 को तय किया गया।
3. रवींद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 2937/2022) दिनांक 08.02.2023 को तय किया गया।
4. निखिल गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध II जमानत याचिका संख्या 17510/2022) दिनांक 10.02.2023 को तय किया गया।
5. शुभम जिंदल बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 11285/2023) दिनांक 06.10.2023 को तय किया गया।
6. बाबूलाल काज़ी बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 12786/2022) दिनांक 13.02.2023 को तय किया गया।
7. मोहम्मद शादाब कादरी बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 2299/2022) दिनांक 06.04.2023 को तय किया गया।
8. श्री मोहम्मद अली अकरम खान बनाम भारत संघ और अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 13860/2022) दिनांक 06.04.2023 को तय किया गया।
9. विनीत गुप्ता बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 7162/2023) दिनांक 20.07.2023 को तय किया गया।
10. सौरभ जिंदल बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 14791/2022) दिनांक 16.12.2022 को तय किया गया।
11. विकास बाजोरिया बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 17349/2022) दिनांक 06.01.2023 को तय किया गया।

12. अभिषेक सिंघल बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 14211/2021) दिनांक 11.11.2021 को तय किया गया।

13. लक्ष्मण चौधरी बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 16422/2021) दिनांक 06.10.2021 को तय किया गया।

14. विनीत गुप्ता बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 7162/2023) दिनांक 20.07.2023 को तय किया गया।

2. इसके विपरीत, भारत संघ के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जब सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए गए थे, तो यह सामने आया कि याचिकाकर्ता ने 294 फर्जी फर्मों का निर्माण और संचालन किया है और 1,032 करोड़ रुपये के कर की चोरी की है। वकील ने प्रस्तुत किया कि जब जांच एजेंसी द्वारा जांच की गई, तो यह तथ्य रिकॉर्ड पर आया कि एक सह-आरोपी अनिल कुमार भी याचिकाकर्ता के साथ साजिश में था और उक्त सह-आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) (बी) (सी) (एफ) और (एल) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक अलग शिकायत संख्या डीजीजीआई/ आईएनवी/ 122/2023-ग्रुप-एफ-ओ/ओ एडीजी-डीजीजीआई-जेडयू, जयपुर दायर की गई है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की सह-समान पीठ ने पहले ही सह-आरोपी अनिल कुमार की जमानत याचिका (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 15833/2023) को दिनांक 19.02.2024 के आदेश से खारिज कर दिया है। वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर न केवल याचिकाकर्ता का इकबालिया बयान है, बल्कि साक्ष्य भी है जब याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई 50 से अधिक फर्जी फर्मों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें सभी फर्जी फर्मों का पता एक ही है। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपराध करने में शामिल था और उसने सरकार को 1,032 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से जमानत का लाभ पाने का हकदार नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निम्नलिखित आदेशों/निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. सुरजीत सिंह छाबड़ा बनाम भारत संघ और अन्य रिपोर्टेड इन 1997 (1) SCC 508 ।

2. नरेश जे. सुखवानी बनाम भारत संघ रिपोर्टेड इन 1995 Supp (4) SCC 663 ।
 3. अनिल कुमार बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 15833/2023) दिनांक 19.02.2024 को तय किया गया।
 4. संदीप गोयल बनाम भारत संघ (स्पेशल लीव टू अपील (आपराधिक) संख्या 1803/2020)।
 5. संदीप गोयल बनाम भारत संघ (एस.बी. आपराधिक विविध III जमानत याचिका संख्या 1521/2020) दिनांक 05.02.2020 को तय किया गया।
 6. बसुदेव मित्तल बनाम भारत संघ (एमसीआरसी संख्या 3919/2022) दिनांक 15.07.2022 को तय किया गया (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित)।
 7. ललित गोयल बनाम भारत संघ और अन्य (एस.बी. आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 13042/2021) दिनांक 07.09.2021 को तय किया गया।
3. बार में दिए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
4. शिकायत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के कार्यालय में बिना किसी अंतर्निहित माल की आपूर्ति के मेंथॉल के नकली चालान जारी करने के संबंध में माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (संक्षेप में, "डीजीजीआई") जयपुर आंचलिक इकाई (संक्षेप में, "जेडयू") को एक सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद, डीजीजीआई द्वारा विस्तृत जांच की गई और जांच के दौरान, यह पाया गया कि मेसर्स कैजन ऑर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड को चालान जारी करने वाली कई फर्जी फर्मों को एक ही व्यक्ति, यानी याचिकाकर्ता आशुतोष गर्ग द्वारा चलाया जा रहा है। फिर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए और उसके द्वारा यह खुलासा किया गया कि उसने अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षेप में, "आईटीसी") 679 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने के लिए 181 फर्जी फर्मों का निर्माण किया था। याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी से अमान्य आईटीसी पास करने के उद्देश्य से फर्जी आईटीसी के साथ फर्जी फर्मों का निर्माण/संचालन किया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा बनाई और संचालित की गई फर्जी फर्मों की संख्या 181 से बढ़कर 294 हो गई और तदनुसार, फर्जी आईटीसी की राशि 679 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,032 करोड़ रुपये हो गई।

5. जांच के दौरान, यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर आया कि मेसर्स अनिल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अनिल गर्ग उर्फ अनिल कुमार ने याचिकाकर्ता की कुछ फर्जी फर्मों को खरीदा और संचालित किया। उसके बाद, उक्त अनिल के बयान 17.11.2023 और 18.11.2023 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज किए गए और यह तथ्य रिकॉर्ड पर आया कि उसने भी नकली चालान जारी करने और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना लाभार्थियों को 19.47 करोड़ रुपये का अमान्य आईटीसी पास करने के उद्देश्य से फर्जी फर्मों का निर्माण किया है। उसने याचिकाकर्ता आशुतोष गर्ग की फर्मों से जारी किए गए नकली चालानों के आधार पर अपनी फर्मों में आईटीसी का लाभ उठाया। उक्त अनिल गर्ग उर्फ अनिल कुमार को 18.11.2023 को गिरफ्तार किया गया और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1)(बी)(सी)(एफ) और (एल) के तहत अपराधों के लिए एक अलग शिकायत संख्या डीजीजीआई/आईएनवी/122/2023-ग्रुप-एफ ओ/ओ एडीजी-डीजीजीआई-जेडयू, जयपुर दायर की गई।

6. उक्त अनिल कुमार ने एसबी आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 15833/2023 दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया और इस न्यायालय की सह-समान पीठ ने 19.02.2024 के आदेश से उसकी जमानत याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया:-

"आरोप पत्र में ही आरोप बोलते हैं और कहते हैं कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने 2,02,40,841/- रुपये का नकली आईटीसी उत्पन्न किया है। यह एक स्थापित कानून है कि आर्थिक अपराधों का एक अलग वर्ग होता है और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जांच की आवश्यकता होती है। रतनंबर कौशिक (सुप्रा) के मामले में, तथ्य पूरी तरह से अलग थे और यह नकली आईटीसी उत्पन्न करने का मामला नहीं था। उस मामले में, सीजीएसटी का भुगतान किए बिना माल की आपूर्ति की गई थी। वर्तमान मामले में, तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। ललित गोयल (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26.08.2022 के आदेश से याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ललित गोयल के मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ललित गोयल और अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न फर्जी फर्मों का निर्माण किया था और माल के किसी भी परिवहन के बिना 18.91 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। उस मामले में, इस न्यायालय की सह-समान पीठ ने एस.बी. आपराधिक विविध

जमानत याचिका संख्या 13042/2021 दिनांक 07.09.2021 को याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और एसएलपी में दिनांक 26.08.2022 के आदेश से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, साथ ही यह भी कि याचिकाकर्ता ने 20,28,40,841/- रुपये का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया है, मैं आरोपी-याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हूं।

तदनुसार, धारा 439 सीआरपीसी के तहत आरोपी-याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज की जाती है।"

7. एक बार जब इसी तरह के आरोपी अनिल कुमार की जमानत याचिका को इस न्यायालय की सह-समान पीठ द्वारा दिनांक 19.02.2024 के आदेश से खारिज कर दिया गया है, तो इस न्यायालय के पास 10,32,91,88,876/- रुपये के भारी नुकसान के आरोप को देखते हुए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण या अवसर उपलब्ध नहीं है, और याचिकाकर्ता का ऐसा कार्य सरकारी खजाने का दुरुपयोग है।

8. इस देश का एक आम आदमी राष्ट्र और राज्य के विकास और निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी सहित सभी प्रकार के करों का भुगतान कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता जैसा व्यक्ति फर्जी फर्मों का निर्माण करके और 10,32,91,88,876/- रुपये का भारी नुकसान पहुंचाकर राष्ट्र के साथ-साथ राज्य के विकास में बाधा डाल रहा है। याचिकाकर्ता जैसे आरोपी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे आर्थिक अपराध के कार्य को जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ निपटाया जाना आवश्यक है।

9. आर्थिक अपराध, जिसमें गहरी साजिशें निहित हैं और जिसमें सरकारी खजाने का भारी नुकसान शामिल है, को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करता है और इस प्रकार देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। आर्थिक अपराध हमेशा एक व्यक्ति द्वारा समुदाय के लिए परिणामों की परवाह किए बिना खुद को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित योजना के साथ किया जाता है।

10. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू होने के बाद हाल के वर्षों में ऊपरी तबके के व्यक्तियों की असामाजिक गतिविधियों, जिन्हें "व्हाइट-कॉलर अपराध" के रूप में जाना जाता है, को उनका उचित महत्व दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा अंतर-राज्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए एक प्रावधान बनाना है।

11. पिछले कुछ दशकों के दौरान, हमारे देश ने विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा भारी खर्च वाली विभिन्न योजनाओं का निष्पादन देखा है। भ्रष्ट अधिकारियों, व्यापारियों और ठेकेदारों ने राष्ट्र के विकास कार्यों में अपना सच्चा योगदान देने में कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश ने कुछ प्रगति की है, लेकिन विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन का एक बड़ा हिस्सा "व्हाइट-कॉलर अपराधियों" द्वारा हमारे देश को करोड़ों रुपये का भारी नुकसान पहुंचाने जैसी अवैध गतिविधियों को करके जेब में डाल लिया गया है।

12. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं पाता है कि याचिकाकर्ता केवल इसलिए जमानत पाने का हकदार है क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत कथित अपराध पांच साल के कारावास से दंडनीय है और यह मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा विचारणीय है। आरोपी के पक्ष में जमानत याचिकाओं का फैसला करने के लिए कोई सीधा-साधा फार्मूला नहीं हो सकता है, केवल इसलिए कि कथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा विचारणीय है और यह केवल पांच साल के कारावास से दंडनीय है। हर जमानत याचिका को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों और मामले की खूबियों पर तय किया जाना आवश्यक है। हर मामले के अलग-अलग तथ्य और आरोप होते हैं और जमानत याचिकाओं का फैसला करते समय, अदालत को साक्ष्य की प्रकृति और आरोप को ध्यान में रखना होता है और फिर तदनुसार जमानत याचिकाओं का फैसला करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **निम्मगंडा प्रसाद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** के मामले में 2013(7) **SCC 466** में पैरा 24 में निम्नानुसार कहा है:-

"24. जमानत देते समय, अदालत को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता, जो दोषसिद्धि से होगी, आरोपी का चरित्र, आरोपी के लिए विशिष्ट परिस्थितियां, मुकदमे में आरोपी की

उपस्थिति को सुरक्षित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के बड़े हित और अन्य समान विचारों को ध्यान में रखना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जमानत देने के उद्देश्य से, विधायिका ने "साक्ष्य" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित अदालत केवल यह संतुष्ट हो सकती है कि क्या आरोपी के खिलाफ एक वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश करने में सक्षम होगा। इस स्तर पर, आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाले साक्ष्य की उम्मीद नहीं है।"

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और डीजीजीआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य, अपराध की गंभीरता और इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के आरोपी अनिल कुमार की जमानत याचिका को इस न्यायालय की सह-समान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।

14. तदनुसार, यह जमानत याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

15. ट्रायल कोर्ट से ट्रायल में तेजी लाने की उम्मीद है।

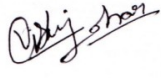
16. आदेश से अलग होने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जो कुछ भी अवलोकन किया गया है, वह केवल इस जमानत याचिका का फैसला करने के उद्देश्य से है। ट्रायल कोर्ट इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले का स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा।

(अनूप कुमार ढंड), जे

आयुष शर्मा/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़